संख्याः 13 /2021/93) /छिहत्तर-1-2021-25सम/2019टी0सी0-2

प्रेषक

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, जालौन, हमीरपुर,
चित्रकूट, सोनभद्र एवं मीरजापुर।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2021

विषयः- नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधीन 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम एवं अन्य कार्यो के अनुश्रवण हेतु विंध्य/बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में तैनात अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम को प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के समस्त जनपदों में पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजलापूर्ति की कार्यवाही करायी जा रही है। उक्त के क्रम में विंध्य/बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जनपद में अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति की तैनाती की गयी है। तैनात अधिकारीगण द्वारा मिशन मोड पर निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं सहित विभाग के अधीन भूजल एवं सतही जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का दिन-प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाना अपेक्षित है।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में विंध्य/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात किए गये अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति द्वारा जनपद में जिलाधिकारी एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय करते हुए निम्नलिखित कार्य एवं दायित्वों का सम्पादन कराया जाना है:-

(1) विंध्य/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं हेतु जो भूमि अभी प्राप्त नहीं हो पायी है, उन्हें संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से समन्वय कर प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जाए।

(2) उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विन्ध्य / बुन्देलखण्ड के जनपदों में पूर्व से संचालित एवं रेट्रोफिटिंग योग्य योजनाओं के रेट्रोफिटिंग की कार्यवाही तथा आनगोइंग योजनाओं की दैनिक प्रगति का अनुश्रवण कर jjmup.org पोर्टल पर अपलोड कराया जाय।

(3) विन्ध्य / बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु चयनित कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय कर 55 एल.पी.सी.डी. के आधार पर संशोधित डी0पी0आर0 तत्काल अनुमोदित करायी जाय।

(4) वन, लोक निर्माण, रेलवे, एन.एच.ए.आई., जल विद्युत इत्यादि विभागों से समन्वय स्थापित कर उनसे परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र तत्काल प्राप्त कर लिए जाएं।

(5) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को मिशन मोड में क्रियान्वित कराते हुए दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण किया जाना है। अतः अपने स्तर पर समन्वय करते हुए निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के विभिन्न घटकों यथा इन्टेकवेल, राइजिंगमेन, डब्लू0टी0पी0, जल वितरण प्रणाली एवं शिरोपरि जलाशय के समस्त कार्य अलग-अलग टीमें बनाकर साथ-साथ कराये जाएं।

(6) पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण के समन्वय हेतु प्रत्येक जनपद में इम्प्लीमेंट सपोर्ट एजेन्सी (आई.एस.ए.) नामित है। अतः जनपद में नामित संबंधित इम्प्लीमेंट सपोर्ट एजेन्सी के माध्यम से जल संरक्षण, जल गुणवत्ता संबंधी कार्य, ग्राम कार्य योजना के निर्माण में सहयोग सहित विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराकर ग्रामवासियों को जागरूक कराया जाए।

(7) जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नामित पी0एम0सी0, टी0पी0आई0, कार्यदायी संस्थाओं, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन एवं स्थानीय

प्रशासन के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर कराकर निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजना में निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार गुणात्मक प्रगति लाने का कार्य कराया जाए।

(8) नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधीन क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण करते हुए प्रगति आख्या, jjmup org पोर्टल पर एवं भारत सरकार के आई.एम.आई.एस. पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड करायी जाए।

(9) नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधीन विंध्य/बुन्देलखण्ड के जनपदों के शासकीय तथा अर्द्धशासकीय भवनों में कराये जा रहे रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना का अनुश्रवण करते हुए jjmup.org पोर्टल पर अपलोड कराया जाए।

(10)भूगर्भ जल प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियम) अधिनियम-2019 में प्रावधानित व्यवस्थाओं के अधीन निर्धारित समयान्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का अनुश्रवण कर कृत कार्यवाही jjmup.org पोर्टल पर अपलोड करायी जाए।

(11)भूजल स्तर के मापन हेतु स्थापित पीजोमीटर के माध्यम से जनपद के विभिन्न स्थलों पर भूजल स्तर का सतत अनुश्रवण कराया जाए तथा उसकी रिपोर्ट jjmup.org पोर्टल पर अपलोड करायी जाए।

(12)भारत सरकार द्वारा संचालित अटल भूजल योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आच्छादित जनपदों में कराये जा रहे जल संरक्षण योजना की समीक्षा कर प्रगति jjmup.org पोर्टल पर अपलोड करायी जाए।

(13)नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन कार्यक्रम, ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग / चेकडैमों के निर्माण की योजना, राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप निर्माण योजना, सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना "हर खेत को पानी" संचालित है। उक्त योजनाओं का अनुश्रवण कर प्रगति jjmup.org पोर्टल पर अपलोड करायी जाए।

(14)जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति में विभाग के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया जायेगा।

(15)राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संख्या- 13 /2021/ 931 (1)/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019टी0सी0-2 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मण्डलायुक्त-झांसी, चित्रकूट एवं विन्ध्याचल मण्डल, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
6. जनपद-झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, सोनभद्र एवं मीरजापुर के समस्त अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव